

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर  
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID\_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55) / सीई / डीएलबी / एमजेएसए -II / 2018 / 10975-11212 दिनांक : 20/02/18

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी  
नगर निगम / परिषद् / पालिका  
राजस्थान (समस्त)।

विषय : मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक रैली आयोजित करने एवं श्रमदान करने बाबत ।

प्रसंग : विभागीय पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 5372-63 दिनांक 14.11.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) की राज्य स्तरीय निर्देशन समिति की समीक्षा बैठक दिनांक 14.02.2018 में माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण की प्रगति की समीक्षा के दौरान आई. ई.सी गतिविधियों की प्रगति पर असंतोषजनक व्यक्त किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः लेख हैं कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 14.11.2017 में वर्णित 12 आई.ई.सी. गतिविधियों के साथ-साथ नगर निकायों के स्तर पर निम्नानुसार गतिविधियां निरन्तर आयोजित की जावे :-

1. प्रत्येक शनिवार को रैली का आयोजन (Community Rally, Youth/Student Rally, Women rally etc.)
2. प्रत्येक शनिवार को श्रमदान करावें एवं श्रमदान करने वाली संस्था व स्थान का नाम भी अंकित किया जावे।

उक्तानुसार कार्यवाही करते हुये की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स सहित नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को निदेशालय के ईमेल : cedlbpj@gmail.com पर अवगत कराना सुनिश्चित करे ।

  
(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए-11/2018/16975-11212 दिनांक : 20/02/18  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर (समस्त)।
6. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त) को भेजकर लेख है कि अपने स्तर पर मॉनीटर करते हुये उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. प्रोग्रामर, आई.टी. प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

*(Signature)*  
मुख्य अभियंता